13/10/25 - प.वादी उप. [illegible] उपस्थित होकर साक्ष्य का शपथ-पत्र पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। [illegible] पर प्रतिपरीक्षा नहीं किया गया। प्रतिवादी की ओर साक्ष्य पेश करना नहीं चाहते हैं। अतः साक्ष्य वादी का अवसर बन्द किया जाता है। बहस प्रार्थी/वादी सुनी गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] को कल हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

[illegible]

[illegible] [illegible] 3/10/2025

[illegible] कलक्टर (फा…
…जयपुर

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक / मु0)चौमूँ, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :–कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:–176 / 2025

उनवान

1. रमेश पुत्र मु0 सुसा उर्फ श्योसहाय, जाति अहीर, निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. कैलाश पुत्र सुवा यादव,
2. बनवारी पुत्र चन्दा यादव,
3. कैलाशचन्द पुत्र कालूराम यादव,
4. गोपाल पुत्र बिरदा यादव,
5. गोवर्धन पुत्र बिरदा यादव
6. भगवान सहाय पुत्र बिरदा यादव,
7. लालचन्द पुत्र बिरदा यादव,
8. श्यामलाल पुत्र कालूराम यादव,
9. श्रवण पुत्र कालूराम यादव,
10. हनुमान पुत्र बिरदाराम यादव
11. घनश्याम पुत्र नाथूलाल पारीक
12. जगदीश पुत्र हनुमान पारीक
13. विनोद पुत्र मालीराम पारीक
14. किरण पत्नि विनोद पारीक
15. नागर पुत्र हनुमान पारीक
16. प्रभाती लाल पुत्र हनुमान पारीक
17. बजरंग पुत्र नारायण पारीक
18. बोदू पुत्र हनुमान पारीक
19. भगवानी देवी पत्नि नाथूलाल यादव
20. मदन लाल पुत्र बोदूराम यादव
21. मनोज पुत्र मालीराम पारीक
22. राकेश पारीक पुत्र मालीराम पारीक
23. रामेश्वर पुत्र हनुमान पारीक
24. सुनिल पुत्र मदन लाल पारीक
25. सावित्री देवी पत्नि राजेन्द्र पारीक
    निवासीयान–ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
26. रेणु यादव पत्नि रमेश चन्द, जाति अहीर, निवासी–4 जमुना कॉलोनी, सीकर रोड, खेतान हॉस्पिटल के पास, विधाधर नगर, जयपुर जिला जयपुर राजस्थान।
27. पंजाब नेशनल बैंक, बैंक शाखा गोविन्दगढ, जरिये शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक–गोविन्दगढ जयपुर।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूँ, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

28. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक शाखा चौमूँ जरिये शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चौमूँ जयपुर।
29. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद–पत्र बाबत घोषणा, इन्द्राजात एंव स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नं0:–176/2025

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण एवं प्रतिवादीमिनजामिन मुददई रूबरू श्रीमती कनक जैन आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

विवादित भूमि आराजी खाता संख्या 373, 374, 380 वाके ग्राम ईटावा भोपजी, पटवार हल्का ईटावा भोपजी, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र उदयपुरिया, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर के राजस्व रिकार्ड में पदमा देवी पत्नी श्योसहाय जाति अहीर (यादव) की जगह पदमा पत्नी सुसाराम अहीर (यादव) का सुद्धीकरण की घोषणा की जाकर आदेश दिया जाता है कि पदमा देवी पत्नी सुसाराम की खातेदारी का नामान्तकरण वादी रमेश पुत्र सुसाराम अहीर (यादव) निवासी ग्राम ईटावा भोपजी के नाम नामान्तकरण खोला जाकर राजस्व रिकार्ड में जमाबन्दी खाता संख्या 373, 374, 380 में पदमा पत्नी श्योसहाय की जगह पदमा पत्नी सुसाराम अहीर (यादव) की खातेदारी की वादी के नाम घोषणा की जाकर वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। डिक्री जारी हो।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 13.10.2025 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत ....
सहायक कलेक्टर (फास्ट...)
ओहदा.......... चौमूँ, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

मु0सं0–176/2025
उनवान–रमेश बनाम कैलाश वगै0
निर्णय दिनांक: 13.10.2025

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	2
जोड़	3	जोड़	2

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
[illegible], जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक / मु0) चौमूँ, जिला—जयपुर
पीठासीन अधिकारी :—श्रीमती कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:—176 / 2025

उनवान

1. रमेश पुत्र मु0 सुसा उर्फ श्योसहाय, जाति अहीर, निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—वादी

बनाम

1. कैलाश पुत्र सुवा यादव,
2. बनवारी पुत्र चन्दा यादव,
3. कैलाशचन्द पुत्र कालूराम यादव,
4. गोपाल पुत्र बिरदा यादव,
5. गोवर्धन पुत्र बिरदा यादव
6. भगवान सहाय पुत्र बिरदा यादव,
7. लालचन्द पुत्र बिरदा यादव,
8. श्यामलाल पुत्र कालूराम यादव,
9. श्रवण पुत्र कालूराम यादव,
10. हनुमान पुत्र बिरदाराम यादव
11. घनश्याम पुत्र नाथूलाल पारीक
12. जगदीश पुत्र हनुमान पारीक
13. विनोद पुत्र मालीराम पारीक
14. किरण पत्नि विनोद पारीक
15. नागर पुत्र हनुमान पारीक
16. प्रभाती लाल पुत्र हनुमान पारीक
17. बजरंग पुत्र नारायण पारीक
18. बोदू पुत्र हनुमान पारीक
19. भगवानी देवी पत्नि नाथूलाल यादव
20. मदन लाल पुत्र बोदूराम यादव
21. मनोज पुत्र मालीराम पारीक
22. राकेश पारीक पुत्र मालीराम पारीक
23. रामेश्वर पुत्र हनुमान पारीक
24. सुनिल पुत्र मदन लाल पारीक
25. सावित्री देवी पत्नि राजेन्द्र पारीक
निवासीयान—ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
26. रेणु यादव पत्नि रमेश चन्द, जाति अहीर, निवासी—4 जमुना कॉलोनी, सीकर रोड, खेतान हॉस्पिटल के पास, विधाधर नगर, जयपुर जिला जयपुर राजस्थान।
27. पंजाब नेशनल बैंक, बैंक शाखा गोविन्दगढ, जरिये शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक—गोविन्दगढ जयपुर।
28. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक शाखा चौमूँ जरिये शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चौमूँ जयपुर।
29. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूँ, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

–प्रतिवादीगण

वाद–पत्र बाबत घोषणा, इन्द्राजात एंव स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक :–13.10.2025

वादी द्वारा वाद पत्र बाबत घोषणा, इन्द्राजात दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया गया है कि वादी की कृषि भूमि वाके ग्राम ईटावा भोपजी, पटवार हल्का ईटावा भोपजी, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र उदयपुरिया, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में विवादग्रस्त आराजी भूमि हाल खाता संख्या 374 के आराजी खसरा नम्बर 1159 रकबा 0.0916 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1160 रकबा 0.4291 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1161 रकबा 0.2206 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1162 रकबा 0.1754 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 969 रकबा 0.1548 हैक्टेयर, कुल किता 05 का कुल रकबा 1.0715 हैक्टेयर, एवं खाता संख्या 380 के आराजी खसरा नम्बर 1041 रकबा 0.2565 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1042 रकबा 0.3036 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1048 रकबा 0.0919 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1049 रकबा 0.0583 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1051 रकबा 0.4617 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1053 रकबा 0.1556 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1054 रकबा 0.0420 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1081 रकबा 0.2091 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1082 रकबा 0.1139 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1083 रकबा 0.2848 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1084 रकबा 0.4221 हैक्टेयर, कुल किता 11 का कुल रकबा 2.3995 हैक्टेयर, एवं खाता संख्या 373 के आराजी खसरा नम्बर 1122 रकबा 0.6635 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1123 रकबा 0.3887 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1157 रकबा 0.7720 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 740 रकबा 0.0439 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 749 रकबा 0.2125 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 756 रकबा 0.0476 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 757 रकबा 0.0270 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 794 रकबा 0.0356 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 795 रकबा 0. 2938 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 796 रकबा 0.0401 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 975 रकबा 0.3155 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 976 रकबा 0.7242 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 995 रकबा 0.4367 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 998 रकबा 0.0370 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 999 रकबा 0.6160 हैक्टेयर, कुल किता 15 का कुल रकबा 4.6541 हैक्टेयर भूमि ही उक्त वाद पत्र में विवादित भूमि है। उक्त विवादित आराजीयात भूमि में स्व0 पदमा पत्नी श्री श्योसहाय उर्फ सुसाराम का नाम उक्त भूमियों में इन्द्राजात है। खाता संख्या 374 में स्व0 पदमा पत्नी श्री श्योसहाय उर्फ सुसाराम में हिस्सा 1/4 भाग एवं खाता संख्या 373 में 1/16 हिस्सा निहित है। वादी स्व0 पदमा पत्नी श्री श्योसहाय उर्फ सुसाराम व सुसाराम पुत्र पन्नाराम आपस में पति–पत्नी है, जिन्होंने वादी को बाल्यावस्था में ही गोद ग्रहण कर लिया था, जिसका पंजीबद्ध गोदनामा दिनांक 23.09. 1992 को बनाया था। उक्त विवादित आराजीयात में वादी की माता स्व0 पदमा पत्नी श्री श्योसहाय उर्फ सुसाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज चली आ रही है। स्व0

Scanned with OKEN Scanner

पदमा पत्नी श्री श्योसहाय उर्फ सुसाराम जो कि वादी की दत्तक माता है। एवं वादी के हक में रजिस्टर्ड गोदनामा भी श्योसहाय उर्फ सूसां ने अपने जीवनकाल में वादी के हक में बनवा दिया था तथा स्व0 पदमा पत्नी श्री श्योसहाय उर्फ सुसाराम का स्वर्गवास ग्राम ईटावा भोपजी में दिनांक 10.02.2010 को हो चुका है। जिसकी उक्त वर्णित सम्पत्ति पर बतौर पुत्र वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। श्योसहाय व सूसाराम पुत्र पन्नाराम नाम का व्यक्ति एक ही व्यक्ति है जिसकी अन्य सम्पत्ति खाता संख्या 378 व खाता संख्या 377 में वादी रमेश पुत्र सूंसाराम के हक में खातेदारी खोली जा चुकी है, इस कारण उक्त खाता संख्या 377 व 378 में खोली गयी खातेदारी के अनुसार स्व0 पदमा पत्नी श्री श्योसहाय उर्फ सुसाराम की खातेदारी भी उक्त विवादित आराजीयात में उल्लेखित भूमि की खातेदारी की भी वादी के नाम स्व0 सूसा उर्फ श्योसहाय व स्व0 पदमा पत्नी श्री श्योसहाय उर्फ सुसाराम का दत्तक मानते हुए खोली जाना कानूनन व इंसाफन लाजमी है तथा वादी उक्त भूमियों की खातेदारी अपने नाम से खुलवाने का अधिकारी है। वादी के हक में ग्राम पंचायत ईटावा भोपजी के सरपंच द्वारा दिनांक 02.07.2015 को कुर्सीनामा भी जारी किया गया, जिस कुर्सीनामा में वादी के प्रार्थना पत्र एवं पंचों की रिपोर्ट के आधार पर भी स्व0 पदमा पत्नी श्री श्योसहाय उर्फ सुसाराम का वारिस होना अंकित किया है एवं कुर्सीनामा जारी किया था, जिसमें स्व0 पदमा पत्नी श्री श्योसहाय उर्फ सुसाराम का दत्तक पुत्र रमेशचन्द दत्तक पुत्र सूंसाराम यादव ही है। अन्य कोई वारिसान नहीं है। इस कारण भी वाद पत्र वर्णित विवादित आराजीयात की खातेदारी वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जाना न्यायोचित है। उक्त विवादित आराजीयात पर वादी का पुश्तैनी रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा भूमियों पर फलदार वृक्ष, बबूल, नीम, खेजडी आदि के वृक्ष लगा रखे है। तथा काश्त कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है तथा हर प्रकार से अपने हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग कर रहा है तथा लगान सरकारी सरकार को अदा करता चला आ रहा है। उक्त विवादित आराजीयात भूमि में वादी की माता स्व0 पदमा पत्नी श्री श्योसहाय उर्फ सुसाराम की भूमि की घोषणा नही फरमायी गयी और वादी के नाम से खातेदारी नही खोली गयी तो वादी अपनी पुश्तैनी भूमि से महरूम हो जावेगा एवं वादी को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी तथा वादी के सम्पत्तिक अधिकारों पर कुठाराघात होगा, इस कारण वादी का वाद पत्र में वर्णित भूमियों विवादग्रस्त की खातेदारी वादी अपने नाम खुलवाने का कानूनन व इंसाफन अधिकारी है। दिनांक 26.05.2025 को वादी ने वाद पत्र में वर्णित विवादित भूमियों की खातेदारी खुलवाने व विरासत का नामान्तकरण खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर तहसीलदार चौमूँ द्वारा वादी की विरासत का नामान्तकरण नही खोला तथा कहा कि सम्बन्धित न्यायालय में चारा जोही करके आदेश करवाओं, उसके उपरान्त हम खातेदारी खोलेगें। इस कारण वादी द्वारा उक्त वाद पत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश किया जाना लाजमी आया है।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूँ, जयपुर

वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निम्न अनुतोष चाहा है कि वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 26 सालिम डिक्री किया जाकर वाद पत्र में वर्णित विवादित आराजीयात खाता संख्या 373, 374, 380 में स्व0 पदमा पत्नी श्री श्योसहाय उर्फ सुसाराम की जगह स्व0 पदमा पत्नी सुसाराम का अंकन करते हुये रिकार्ड को दुरूस्त करते हुये स्व0 पदमा का नाम हजफ फरमाया जाकर वादी के नाम खातेदारी खोलने की घोषणा करते हुये प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 26 को स्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द फरमाया जावें कि वे वादी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे और मौके व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत कायम रखें।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। बहस वादी के अधिवक्ता की सुनी। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजी सांक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 वाद पत्र, प्रदर्श 2 जमाबन्दी खाता संख्या 373 ग्राम ईटावा भोपजी, प्रदर्श 3 जमाबन्दी खाता संख्या 374, प्रदर्श 4 जमाबन्दी खाता संख्या 380, प्रदर्श 5 कुर्सीनामा, प्रदर्श 6 जयपुर थार ग्रामीण बैंक नोटिस, प्रदर्श 7 शपथ पत्र दिनांक 12.06.2015, प्रदर्श 8 गोदनामा, प्रदर्श 8 मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रदर्श 10 वोट लिस्ट सन् 1995, प्रदर्श 11 राजस्व कैम्प में दिया गया प्रार्थना पत्र, प्रदर्श 12, 13 फोटो पहचान पत्र, पेश किये तथा बयान गवाह रमेश पुत्र सुसाराम का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया गया। दौराने बहस वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाके ग्राम ईटावा भोपजी, पटवार हल्का ईटावा भोपजी, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र उदयपुरिया, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर के खाता संख्या 373, 374, 380 की जमाबन्दी में पदमा पत्नी श्योसहाय के नाम की जगह पदमा पत्नी सुसाराम अंकित किया जाकर मृतक पदमा पत्नी सुसाराम की खातेदारी वादी रमेश पुत्र सुसाराम के नाम अकित किया जावे तथा वादी के नाम पदमा पत्नी सुसाराम की खातेदारी दर्ज की जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया जिससे साबित है कि मृतक पदमा देवी स्व0 श्री सुसाराम पुत्र पन्नाराम की पत्नी है। तथा वादी सुसाराम पुत्र पन्नाराम व पदमा देवी पत्नी सुसाराम के गोद गया हुआ है जिसका रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 23.09.1990 को उपपंजीयक कार्यालय जयपुर के यहां रजिस्टर्ड हुआ था तथा पदमा देवी का फोटो पहचान पत्र व वोटर लिस्ट व बैंक द्वारा दिये गये नोटिस व ग्राम पंचायत ईटावा भोपजी द्वारा दिनांक 02.07.2015 को दिये गये कुर्सीनामे में व स्वयं वादी द्वारा दिये गये शपथ पत्र दिनांक 12.06.2015 व पदमा देवी का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 22.02.2010 के अवलोकन से भी पदमा देवी स्व0 सुसाराम की पत्नी है। उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूँ, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

मु0सं0–176 / 2025
उनवान–रमेश बनाम कैलाश वगै0
निर्णय दिनांक: 13.10.2025

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि आराजी खाता संख्या 373, 374, 380 वाके ग्राम ईटावा भोपजी, पटवार हल्का ईटावा भोपजी, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के राजस्व रिकार्ड में पदमा देवी पत्नी श्योसहाय जाति अहीर (यादव) की जगह पदमा पत्नी सुसाराम अहीर (यादव) का सुद्धीकरण की घोषणा की जाकर आदेश दिया जाता है कि पदमा देवी पत्नी सुसाराम की खातेदारी का नामान्तकरण वादी रमेश पुत्र सुसाराम अहीर (यादव) निवासी ग्राम ईटावा भोपजी के नाम नामान्तकरण खोला जाकर राजस्व रिकार्ड में जमाबन्दी खाता संख्या 373, 374, 380 में पदमा पत्नी श्योसहाय की जगह पदमा पत्नी सुसाराम अहीर (यादव) की खातेदारी की वादी के नाम घोषणा की जाकर वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 13.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुल न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फा0ट्रै0 / मुख्यालय)चौमूँ

Scanned with OKEN Scanner